कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष- भू -प्रबंघ) मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक /एफ -11/10-11/101 भोपाल, दिनांक 9-1-2012

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय वृत्त),

मध्यप्रदेश।

विषय - वन (संरक्षण) अधिनियन, 1980 के अंतर्गत स्वीकृत प्रकरणों में पर्यावरणीय स्वीकृति।

---------०--------

भारत सरकार द्वारा वन (संरक्षण)) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत स्वीकृत वन व्यपवर्तन के प्रकरणों में (यदि लागू हो तो) पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की शर्त भी अधिरोपित की जाती है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के अंतर्गत दिनांक 14.9.2006 को अधिसूचना जारी कर विभिन्न प्रकरणों/परियोजनाओं में "पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की अनिवार्यता निरुपित की गई है। अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दर्शित विभिन्न गतिविधियों/परियोजनाओं यथा उत्खनन, नदी घाटी परियोजनाओं (जल विद्युत एवं सिंचाई), ताप विद्युत गृह, कोल वाशरी, इंडस्ट्रीज. ऑयल/गैस पाईप, राजमार्ग, रोप वे, भवन निर्माण इत्यादि के लिए उनकी क्षमता अथवा आकार के आधार पर 'ए' एवं 'बी' श्रेणियों में क्रमश: भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा स्टेट इन्वायरमेंट इम्पेक्ट ऐसेसमेंट अथॉरिटी से 'पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति' प्राप्त करने का प्रावधान है।

वन्य प्राणी(संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत अधिसूचित संरक्षित क्षेत्रों, अधिसूचित ईको सेंसिटिव क्षेत्रों, अधिसूचित क्रिटिकली प्रदूषित क्षेत्रों एवं अंतर्राज्यीय सीमा से 10 कि.मी. के भीतर स्थित होने की स्थिति में श्रेणी ;बी' की परियोजना को 'ए' श्रेणी की मानकर पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

कृपया उपरोक्त स्थिति से अधीनस्थ वन मंडल अधिकारियों एवं गैर वानिकी प्रयोजनों के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु पंजीयन कराने वाले अवेदकों को अवगत कराया जावे। भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.9.2006 की सॉफ्ट कॉपी आपको ई-मेल से प्रेषित की जा रही है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ0क्रमांक/एफ-11/10-11/102 भोपाल, दिनांक 9-1-2012

प्रतिलिपि-

प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, पी.एच.ई. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)

मध्यप्रदेश, भोपाल